राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक एफ.2(39)पराविं / प्रशा.1 / वि.अ. / संस्था / RRDS–12 / 2015 / 2451 जयपुर,दिनांकः– 30.7.18

–:आदेशः–

श्रीमती श्वेता सांखला, पूर्व परिवीक्षाधीन अधिकारी राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा द्वारा पारिवारिक कारणों से राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा में निरन्तर कार्य करने में असमर्थता जताते हुए दिनांक 26.12.2016 को इस सेवा से त्यागपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त अनुपस्थित हो गयीं। श्रीमती सांखला का चयन विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2(04) पराविं / प्रशा.1 / आर.आर.डी.एस.–2012 / संस्थापन / 2015 / 2433 दिनांक 18.11.2015 (क्रम संख्या 39) द्वारा किया गया था। विभागीय नियुक्ति आदेश क्रमांक 2433 दिनांक 18.11.2015 के बिन्दु संख्या 9 में यह उल्लेख है कि सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों मे से कोई भी अभ्यथी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्यागपत्र दे देता है या कोई अन्य नियुक्ति ग्रहण कर लेता है तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि, साथ ही सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर उपगत व्यय की दो गुना राशि सरकार को प्रतिसंदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी।

अतः श्रीमती सांखला द्वारा इनको प्रशिक्षण अवधि में प्रदत्त की गयी कुल परिलब्धियों रूपये 1,71,417 / –की दोगुनी राशि रूपये 3,42,834 / –विभाग में चालान द्वारा जमा करा दिये जाने के कारण इनका दिनांक 26.12.2016 को विभाग को प्रस्तुत त्यागपत्र स्वीकृत किया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(इकबाल खान)
संयुक्त शासन सचिव(प्रशा–1)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त, भरतपुर।
7. जिला कलक्टर, भरतपुर।
8. अतिरिक्त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर।
9. विकास अधिकारी पंचायत समिति नदबई जिला भरतपुर।
10. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
11. श्रीमती श्वेता सांखला, पूर्व परिवीक्षाधीन अधिकारी, राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा 411, अर्जुन भवन, आजाद मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर(राजस्थान) पिन–302001 को सूचनार्थ प्रेषित है।
12. आदेश पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव(प्रशा–1)